भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 1366

सोमवार, 06 दिसम्बर, 2021/15 अग्रहायण, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

वाल्मिकि नगर में पर्यटन को बढ़ावा देना

1366. श्री सुनील कुमार:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वाल्मिकि नगर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) केंद्र सरकार द्वारा गत 5 वर्षों के दौरान वाल्मिकि नगर बाघ अभ्यारण्य का विकास करने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार का विचार पर्यटकों के लिए बिहार में एकमात्र बाघ अभ्यारण्य का विकास करने का है; और

(ड.) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): पर्यटन मंत्रालय बिहार में वाल्मीकि नगर सहित, भारत का समग्र रूप से संवर्धन करता है। अपनी चल रही गतिविधियों के अंग के रूप में यह 'अतुल्य भारत' ब्रांड-लाइन के तहत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया अभियान जारी करता है ताकि देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों का अपनी 'आतिथ्य सहित घरेलू प्रचार और संवर्धन' (डीपीपीएच) और बाजार विकास सहायता सहित 'विदेश में संवर्धन और प्रचार योजनाओं के माध्यम से संवर्धन किया जा सके।

(ख) और (ग): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा डिवीजन प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, टाइगर परियोजना की चल रही केंद्र प्रायोजित योजना के तहत टाइगर रेंज राज्यों को जागरूकता संवर्द्धन सहित बाघों और अन्य वन्य जीवों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए वित्त पोषण सहायता प्रदान की जाती है।

टाइगर परियोजना के अंतर्गत तीन वर्षों में आवंटित धनराशि निम्नानुसार है:-

(रु. लाख में)

राज्य	**टाइगर अभयारण्य**	2018-19	2019-20	2020-21
बिहार	वाल्मीकि नगर	570.897	562.84	628.89

(घ) और (ड़) : वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38-त (1) (ग) के अंतर्गत जारी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (पर्यटन गतिविधियों और बाघ परियोजना के लिए मानक मापदंडक) दिशानिर्देश, 2012 के माध्यम से भारत सरकार बाघ रिजर्व और उसके आसपास सतत ईको पर्यटन का संवर्धन करती हैं।

****